

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

पदा0/कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम,

क्र0 सं0	पदा0/कर्मचारियों के नाम	पदनाम	मोबाईल सं0
1	मो0 मुजाहिद अंसारी	जिला मत्स्य पदा0-सह-मुख्य कार्यपालक पदा0, गढ़वा	9708270388
2	श्री मिठुन माझी	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी	8674982901
3	श्री प्रवीण किस्पोट्टा	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	7677121749
4	श्री घनश्याम लाल	उच्चवर्गीय लिपिक	8987696308, 9693961636
5	श्रीमति अंजलि पाल	निम्नवर्गीय लिपिक सह टंकक	9430734960
6	श्री प्रभु चौधरी	मछुआ (प्रशिक्षित)	9430390344

विभाग में चलाए जा रहे योजनाओं के नाम:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना की विवरणी
1	2	3
1	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कार्यक्रम	केन्द्र सरकार से स्वीकृत राशि के अन्तर्गत गरीब आवास विहीन/कच्चा मकान वाले सक्रिय मछुआरों को पक्का मछुआ आवास कम से कम 10 के क्लस्टर में दिया जाता है। इकाई लागत मो0 75,000.00 (पचहत्तर हजार रु0)। आवेदक को पूर्व में किसी प्रकार का आवास योजना के तहत लाभान्वित न किया गया हो। योग्य लाभुकों का चयन जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा जाँचोपरान्त किया जाता है।
2	वेदव्यास आवास योजना	राज्य सरकार से स्वीकृत राशि के अन्तर्गत गरीब आवास विहीन/कच्चा मकान वाले सक्रिय मछुआरों को पक्का मछुआ आवास कम से कम 10 के क्लस्टर में दिया जाता है। इकाई लागत मो0 75,000.00 (पचहत्तर हजार रु0)। आवेदक को पूर्व में किसी प्रकार का आवास योजना के तहत लाभान्वित न किया गया हो। योग्य लाभुकों का चयन जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा जाँचोपरान्त किया जाता है।
3	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कार्यक्रम	मत्स्यजीवी सहयोग समिति एवं मत्स्य विभाग से संबद्ध मत्स्य कार्य से जुड़े सक्रिय मछुआरों को निःशुल्क आकस्मिक दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2.00 लाख रु. एवं स्थायी आंशिक अपंगता पर एक लाख रु0 की राशि देय है।
4	बीज उत्पादकों को स्पॉन एवं जाल की आपूर्ति	प्रति वित्तीय वर्ष मत्स्य बीज उत्पादकों को लक्ष्य के अनुसार मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, राँची में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका निबंधन शुल्क 200 रु0 मात्र निर्धारित है। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हे बरसात के मौसम में प्रावधान अनुसार अनुदानित दर पर मत्स्य स्पॉन, जाल एवं स्पॉन हेतु पूरक आहार उपलब्ध कराई जाती है।
5	पाँच दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण	वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन करके आय में वृद्धि हेतु पाँच दिवसीय मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, राँची में दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थी को आने जाने का न्यूनतम भाड़ा एवं प्रति प्रशिक्षण दिवस 200 रु0 का मानदेय भुगतान किया जाता है। भोजन की राशि दिये गए मानदेय से Deduct कर लिया जाता है।

6	नया रियरिंग तालाब निर्माण	निजी रैयती, विवाद रहित, वैद्य दखल कब्जा वाले जमीन जो 1 नं0, 2 नं0 दोन भूमि हो पर नया रियरिंग तालाब निर्माण का प्रावधान है। एक एकड़ जलक्षेत्र में तालाब निर्माण हेतु अनुदान की राशि मात्र 2.40 लाख रु0 है। न्यूनतम 0.50 एकड़ जलक्षेत्र में तालाब निर्माण का प्रावधान है। योग्य लाभुकों का चयन जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा जाँचोपरान्त किया जाता है।
7	जलाशयों में केज कल्चर	राज्य के बड़े जलाशयों में केज कल्चर के लिये जलाशय स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों के लिये केज निर्माण हेतु अनुदान की प्रावधान।
8	मछली के इयरलिंग संचयन के प्रोत्साहन हेतु सहायता	सदाबहार तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन के लिये इयरलिंग/एडवांस फिंगरलिंग के संचयन हेतु चयनित मत्स्य बीज उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता।
9	मत्स्य विपणन	इस योजना अंतर्गत मत्स्य विक्रेताओं को हाईजेनिक कंडिशन में मछली बिक्री हेतु स्टॉल निर्माण पर अनुदान की व्यवस्था।